

हरियाणा सरकार

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 1998

संख्या सा० का० नि० 37/संवि०/अनु०/309/98.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत ग्रुप (ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग I—सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (i) ये नियम हरियाणा गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत ग्रुप (ख) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं।
(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषायें।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;
(ख) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;
(ग) “निदेशक” से अभिप्राय है, निदेशक, हरियाणा गैर-पारम्परिक ऊर्जा विभाग ;
(घ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;
(ङ) “संस्था” से अभिप्राय है,—
(i) हरियाणा राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या
(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;
(च) “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—
(i) भारत में विधि द्वारा निर्गमित कोई विश्वविद्यालय ; या

- (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या हाका विश्वविद्यालय ; या
- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;
- (छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (ग्रुप ख) सेवा ;
- (ज) "सचिव" से अभिप्राय है, सचिव, हरियाणा सरकार, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग ।

भाग II-सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क के बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता अधिवास तथा चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी , जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या कीनिया, यूगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख) (ग) (घ) या (ङ) से संबंधित किसी प्रवर्ग का कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

- (2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अथवा ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भाँति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के ठीक आगामी मास के प्रथम दिन को या उससे पहले बीस वर्ष से कम अथवा पैंतीस वर्ष से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियाँ सरकार द्वारा की जायेंगी।

योग्यताएँ ।

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यतायें तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में उनके आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हों। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

अयोग्यतायें ।

8. कोई भी व्यक्ति :

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसे करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग :

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी।

(क) परियोजना अधिकारी की दशा में,—

(i) 30 प्रतिशत सहायक परियोजना अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 70 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) परियोजना अयंशास्त्री (गैर तकनीकी) की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण द्वारा या प्रति नियुक्ति द्वारा ;

(ग) लेखा अधिकारी की दशा में,—

वित्त विभाग से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) अधीक्षक की दशा में,—

(i) उप अधीक्षक या सहायक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिये कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि से गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है;

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति की जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परीक्षा की विहित अवधि को पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त किया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह —

(क) यदि ऐसा व्यक्ति, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परीक्षा-अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करें; या

- (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है, जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद, पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा; या

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा; या

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे पदोन्नति या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ल रहा था, और यदि मिलन वाल वेतन की दर भी समान हो तो, उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये नीचे लिखे अनुसार भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है :—

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय व चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण विश्वविद्यालय ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार अथवा किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्ति नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन और अन्य मामले :

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन और अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों या इसके बाद अपनाये या बनाये जायें ।

अनुशासन, शास्तियां और अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुये, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील), नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट ब में विनिर्दिष्ट हैं ।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा ।

राजनिष्ठा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक कि उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति :

17. जहाँ सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहाँ वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध :

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष शर्तें तथा निबन्धन लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग अथवा प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करगी :

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति :

20. सेवा में लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसका द्वारा निरसित किय जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)

| क्रम संख्या | पदनाम | पदों की संख्या | | | वेतनमान |
|----------------|-----------------------|----------------|---------|------|--|
| | | स्थायी | अस्थायी | जोड़ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | रुपये |
| 1 | परियोजना अधिकारी | — | 16 | 16 | 2000-60-2300-75-2900-द० रो०- 100-3500 |
| 2 | परियोजना अर्थशास्त्री | — | 1 | 1 | 2000-60-2300-75-2900-द० रो०- 100-3500 |
| 3 | लेखा अधिकारी | — | 1 | 1 | 2000-60-2300-75-2900-द० रो०- 100-3500 |
| 4 | अधीक्षक | — | 1 | 1 | 2000-60-2300-75-2900-द० रो०- 100-3500 |

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

| क्रम संख्या | पदनाम | सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो | सीधी भर्ती से अन्यथा, द्वारा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो |
|----------------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | परियोजना अधिकारी | <p>(i) भौतिक/रसायन/गणित/संक्रियात्मक अनुसंधान में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक होकर डिग्री या इसके समकक्ष कोई डिग्री ;</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/रसायन/ कम्प्यूटर/कृषि इंजीनियरी में स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री ;</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;</p> <p>(iii) ग्रामीण विकास से संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में परि- योजनाओं के आयोजना, विकास तथा लागू करने में दो वर्षों का अनुभव ;</p> | <p>पदोन्नति द्वारा ;</p> <p>सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में पांच वर्षों का अनुभव ;</p> <p>स्थानान्तरण द्वारा :</p> <p>(i) भौतिक/रसायन/गणित/संक्रियात्मक अनुसंधान में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री ;</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/रसायन/कम्प्यूटर/ कृषि इंजीनियरी में स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री ;</p> <p>(ii) ग्रामीण विकास से संबंधित नवी- करणीय ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाओं के आयोजना विकास तथा लागू करने में दो वर्षों का अनुभव ।</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------------|---|---|
| 2 | परियोजना अर्थशास्त्री | (i) अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) आर्थिक योजना, मात्तिक विश्लेषण या परियोजनाओं के बनाने का पांच वर्ष का अनुभव । | (i) अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) आर्थिक योजना मात्तिक, विश्लेषण या परियोजनाओं के बनाने का पांच वर्ष का अनुभव ; |
| 3 | लेखाधिकारी | — | वित्त विभाग, हरियाणा से एस० ए० एस० संवर्ग का अधिकारी । |
| 4 | अधीक्षक | — | पदोन्नति द्वारा : उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव, या सहायक, के रूप में सात वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव, या सहायक, के रूप में सात वर्ष का अनुभव ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । |

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

| क्रम संख्या | पद नाम | नियुक्ति प्राधिकारी | शास्ति का स्वरूप | शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी | अपील अधिकारी | द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी |
|-------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | परियोजना अधिकारी | सरकार | 1. छोटी शास्तियां : (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; | निदेशक | सरकार | --- |
| 2 | परियोजना अर्थशास्त्री | | | | | |
| 3 | लेखा अधिकारी | | | | | |
| 4 | अधीक्षक | | (iv) आदेशों की अपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी संगम तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | किसी स्थानीय प्राधि- करण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ; | | | |
| | | | (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियों को रोकना ; | | | |
| | | 2. बड़ी शास्तियां : | सरकार | — | — | |
| | | (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ; | | | | |
| | | (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति, ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि सरकारी कर्म- चारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं, और क्या ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी अथवा नहीं ; | | | | |
| | | (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड अथवा पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

जिससे वह अवनत किया
गया था, पदोन्नति के
लिये सामान्यतः रोक
होगी, ऐसा जिस ग्रेड,
पद, अथवा सेवा से सर-
कारी कर्मचारी अवनत
किया गया था उस पर
बहाली सम्बन्धी और
उसकी ज्येष्ठता
तथा उस ग्रेड, पद या
सेवा पर वेतन के बारे
में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त
निर्देशों के साथ या उसके
बिना होगा ;

(ix) अनिवार्य सेवा
निवृत्ति ;

(x) सेवा से हटाया जाना,
जो सरकार के अधीन
भावी नियोजन के लिये
निरहता नहीं होगी;

(xi) सेवा से पदच्युति, जो
सरकार के अधीन भावी
नियोजन के लिये
सामान्यतः निरहता
होगी।

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

| क्रम संख्या | पद नाम | आदेश का स्वरूप | आदेश लेने के लिये सशक्त प्राधिकारी | अपील प्राधिकारी | द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी |
|----------------|--------------------------|--|---|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | परियोजना अधिकारी | (i) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अवशेष सामान्य/ अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना ; | सरकार | — | — |
| 2 | परियोजना अर्थशास्त्री | (ii) सेवा के किसी सदस्य उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु होने से पूर्व अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति । | | | |
| 3 | लेखा अधिकारी | | | | |
| 4 | अधीक्षक | | | | |

एस० वाई० कुरैशी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग ।

(Authorised English Translation)

HARYANA GOVERNMENT

DEPARTMENT OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES HARYANA

Notification

The 24th April, 1998

No. GSR 37/Const/Art/309/98.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of Service of persons appointed to the Haryana Non-conventional Energy Sources (Group-B) Service, namely :—

PART I—GENERAL

Short title

1. (i) These rules may be called the Haryana Non-conventional Energy Sources (Group-B) Service Rules, 1998.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

Definitions:

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government;

(c) "Director" means the Director, Non-conventional Energy Sources Department, Haryana;

(d) "Government" means of the Haryana Government in the Administrative Department;

(e) "Institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(f) "Recognised University" means,—

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules;

(g) "Service" means the Haryana Non-conventional Energy Sources (Group-B) Service;

(h) "Secretary" means Secretary to Government Haryana, Non-Conventional Energy Sources Department.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts:

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules : ■

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service:

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India ;

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age:

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 20 years or more than 35 years of age, on or before the first day of the month next preceding the last date of submission of application to the Commission.

Appointing Authority.

6. Appointment to the post in the Service shall be made by the Government.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in Column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in Column 4 of the aforesaid Appendix in case of persons appointed otherwise than by direct recruitment:

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualification regarding experience shall be relaxable to the extent of 50 per cent at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically handicapped candidates, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living has entered or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any post in Service:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,—

- (a) in case of Project Officer,—

- (i) 30% by promotion from Assistant Project Officers; and
- (ii) 70% by direct recruitment; or

- (ii) by transfer or deputation of any officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;

- (b) in case of Project-Economist (Non-Technical),—

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of any officer/official already in the service of any State Government or Government of India;

- (c) in case of Accounts Officer,—

- (i) by transfer or deputation from Finance Department, Haryana;

(d) in case of Superintendent,—

- (i) by promotion from Deputy Superintendent or Assistant ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India .

2. All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions .

Probation.

10. (1) Persons appointment to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise :

Provided that —

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;
 - (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and
 - (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—
- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services ; and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
 - (i) revert him to his former post ; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit .
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—
- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

- (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or
 - (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—
 - (i) dispense with his Services if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation.
- Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority :

11. Seniority *inter se* of members of Service shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in finding the seniority ;

Provided further that in case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve:

12 (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of Service may also be deputed to serve under—

- (i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;
- (ii) The Central Government of a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government of any organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters;

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter adopted or made by the competent authority under the constitution of India or under any law for the time being in force made by State Legislature.

Discipline, penalties and appeals;

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by Haryana Civil Services (Punishment and Appeal), Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination;

15. Every member of the service, shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance;

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation:

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions:

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservation:

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Caste, Backward Classes, other Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time ;

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time .

Repeal and savings:

20. Any rule applicable to the service and corresponding to any of these rules, which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed ;

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See Rule 3)

| Sr. No. | Designation of post | Number of posts | | | Scale of Pay |
|------------|------------------------|-----------------|----------------|-------|--|
| | | Perma- nent | Tempo- rary | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Project Officer | — | 16 | 16 | Rs. 2,000—60—2,300—75— 2,900—EB—100—3,500 |
| 2 | Project Economist | — | 1 | 1 | Rs. 2,000—60—2,300—75— 2,900—EB—100—3,500 |
| 3 | Superintendent | — | 1 | 1 | Rs. 2,000—60—2,300—75— 2,900—EB—100—3,500 |
| 4 | Accounts Officer | — | 1 | 1 | Rs. 2,000—60—2,300—75— 2900—EB—100—3,500 |

APPENDIX B

(See rule 7)

| Sr. No. | Designation of posts | Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment | Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment |
|---------|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Project Officer | <p>(i) Masters Degree in Physics/Chemistry/Mathematics Operational Research with at least 60% marks or equivalent degree;</p> <p>Or</p> <p>Bachelor Degree in Electrical/Mechanical/Chemical/Computer/Agricultural Engineering or equivalent degree with at least 60% marks.</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi up to Matric</p> <p>(iii) Two years experience in Planning, Development and implementation of renewable energy programmes related to Rural Sector Development</p> | <p>By promotion :</p> <p>Five years experience as Assistant Project Officer.</p> <p>By transfer :</p> <p>(i) Masters Degree in Physics/Chemistry/Mathematics/Operational Research with at least 60% marks or equivalent degree;</p> <p>Or</p> <p>Bachelor Degree in Electrical/Mechanical/Computer/Chemical/Agricultural Engineering or equivalent degree with atleast 60% marks;</p> <p>(ii) Two years experience in Planning, Development and implementation of renewable energy programmes related to Rural Sector Development ;</p> <p>(iii) Knowledge of Hindi up to Matric.</p> |
| 2 | Project Economist | <p>(i) Masters degree in Economics;</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi upto Matric;</p> | <p>(i) Masters degree in Economics ;</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi up to Matric ;</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------------|---|---|
| | | (iii) Five years experience in Planning Economtries quantative Analysis or Project Formulation. | (iii) Five years experience in Planning Economtries quantative Analysis or Project Formulation . |
| 3 | Accounts Officer | — | Officer of SAS cadre from Finance Department Haryana. |
| 4 | Superintendent | — | By promotion: Two years experience as Deputy Superintendent or seven years experience as Assistant. By transfer : (i) two years experience as Deputy Superintendent or seven years experience as Assistant ; (ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard. |

APPENDIX C

[See rule 14 (1)]

| Sr. No. | Designation of posts | Appointing authority | Nature of penalty | Authority empowered to impose penalty | Appellate authority | Second and final appellate authority, if any |
|---------|----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Minor Penalties | | | |
| 1 | Project Officer | Government | (i) warning with a copy in the personal file (Character roll); | Director | Government | — |
| 2 | Project Economist | | (ii) Censure; | | | |
| 3 | Accounts Officer | | (iii) Withholding of promotion; | | | |
| 4 | Superintendent | | (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and | | | |
| | | | (v) Withholding of increments of pay without cumulative effect. | | | |
| | | | Major Penalties— | | | |
| | | | (va) withholding of increments of pay with cumulative effect; | Government | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;

(viii) compulsory retirement ;

(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;

(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

APPENDIX D

[See Rule 14(2)]

| Sr. No. | Designation of posts | Nature of order | Authority empowered to make the order | (Appellate authority | Second & final Appellate authority if any |
|---------|----------------------|---|---------------------------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Project Officer | (i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; | Government | — | — |
| 2 | Project Economist | | | | |
| 3 | Accounts Officer | (ii) terminating the appointment of member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation. | | | |
| 4 | Superintendent | | | | |

S. Y. QURAISHI,

Commissioner & Secretary to Government, Haryana
Non-conventional Energy Sources Department.

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 सितम्बर, 2006

संख्या सा० का० नि० 24/संवि०/ अनु० 309/2006.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (ग्रुप ख) सेवा संशोधन नियम, 2006 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (ग्रुप ^ख ~~क~~) सेवा नियम, 1998 तथा प्रस्तावना में, “हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत” शब्द जहाँ कहीं भी आएँ, के स्थान पर, “हरियाणा अक्षय ऊर्जा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

एस० सी० बोधरी,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,

हरियाणा सरकार, अक्षय ऊर्जा विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT**Notification**

The 8th September, 2006

No. G. S. R. 24/Const./Art. 309/2006.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Non-conventional Energy Sources (Group B) Service Rules, 1998, namely :—

1. (1) These rules may be called the Haryana Non-conventional Energy Sources (Group B) Service Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Non-conventional Energy Sources (Group B) Service Rules, 1998 and preamble, for the words "Haryana Non-conventional Energy Sources" wherever occurring, the words "Haryana Renewable Energy" shall be substituted.

S. C. CHAUDHARY,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Renewable Energy Department.

HARYANA GOVERNMENT
NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 4th September, 2018

No. 1382-A/Const./Art.309/2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Renewable Energy (Group B) Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Renewable Energy, (Group B) Service (Amendment) Rules, 2018.
2. In the Haryana Renewable Energy (Group B) Service Rules, 1998, in rule 5, for the figure "35", the words and sign "forty-two" shall be substituted.

ANKUR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
New and Renewable Energy Department.



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 19-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 7, 2019 (VAISAKHA 17, 1941 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 सितम्बर, 2018

संख्या 1382-ए/संवि/अनु०/309/2018.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998 में, नियम 5, में, "पैंतीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

अंकुर गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 70-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 24, 2019 (VAISAKHA 4, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2019

संख्या 1492/संवि0/अनु0 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- ये नियम हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998 में, परिशिष्ट ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

| क्रम संख्या | पदनाम | सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो | सीधी भर्ती से अन्यथा, द्वारा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो |
|-------------|------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | परियोजना अधिकारी | <p>(i) भौतिक/रसायन / गणित / संक्रियात्मक अनुसंधान में कम से कम साठ प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समकक्ष कोई डिग्री ;</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम साठ प्रतिशत अंको सहित इलैक्ट्रिकल/मकैनिकल / रसायन / कम्प्यूटर / कृषि इंजीनियरींग में स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री ;</p> <p>(ii) ग्रामीण क्षेत्र विकास से संबंधित नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रमों की आयोजना, विकास तथा कार्यान्वयन में दो वर्ष का अनुभव; तथा</p> | <p>पदोन्नति द्वारा—</p> <p>सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव ;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम साठ प्रतिशत अंको सहित भौतिक / रसायन/ गणित/संक्रियात्मक अनुसंधान में स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री;</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम साठ प्रतिशत अंको सहित इलैक्ट्रिकल/मकैनिकल/कम्प्यूटर/ रसायन/कृषि इंजीनियरी में स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री ;</p> |

| क्रम संख्या | पदनाम | सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो | सीधी भर्ती से अन्यथा, द्वारा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो |
|-------------|-----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :- पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा | (ii) ग्रामीण क्षेत्र विकास से संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों की आयोजना, विकास तथा कार्यान्वयन में दो वर्ष का अनुभव ; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :- पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा |
| 2 | परियोजना अर्थशास्त्री | (i) अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री; (ii) अर्थमिति योजना, मात्रिक विश्लेषण या परियोजनाओं को बनाने का पाँच वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत। टिप्पणी :- पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा | स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) अर्थ शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री; (ii) आर्थिक योजना, मात्रिक विश्लेषण या परियोजनाओं को बनाने का पाँच वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत। टिप्पणी:- पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा |
| 3. | लेखा अधिकारी | — | स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— वित्त विभाग, हरियाणा से राज्य लेखा अधीनस्थ (एस०ए०एस०) संवर्ग का अधिकारी। |
| 4. | अधीक्षक | — | पदोन्नति द्वारा— उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का या सहायक के रूप में सात वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का या सहायक के रूप में सात वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :- पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा |

टी० सी० गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 2019

No. 1492/Const./Art.309/2019.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Renewable Energy (Group B) Service Rules, 1998, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Renewable Energy (Group B) Service (Amendment) Rules, 2019.
2. In the Haryana Renewable Energy (Group B) Service Rules, 1998, for Appendix B the following Appendix shall be substituted, namely:-

“APPENDIX B”

(see rule 7)

| Serial Number | Designation of posts | Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment | Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment |
|---------------|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Project Officer | <p>(i) Masters / Degree in Physics/ Chemistry/ Mathematics /Operational Research with at least 60% marks or equivalent degree;</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Bachelor Degree in Electrical / Mechanical / Chemical / Computer / Agricultural Engineering or equivalent degree with at least 60% marks;</p> <p>(ii) Two years experience in Planning, Development and implementation of renewable energy programmes related to Rural Sector Development; and</p> <p>(iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education.</p> <p>Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.</p> | <p>By promotion-</p> <p>Five years experience as Assistant Project Officer.</p> <p>By transfer or deputation-</p> <p>(i) Masters/Degree in Physics/ Chemistry/Mathematics/ Operational Research with at least 60% marks or equivalent degree;</p> <p style="text-align: center;">Or</p> <p>Bachelor Degree in Electrical/ Mechanical / Computer/ Chemical/ Agricultural Engineering or equivalent degree with at least 60% marks;</p> <p>(ii) Two years experience in Planning, Development and implementation of renewable energy programmes related to Rural Sector Development; and</p> <p>(iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education.</p> <p>Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.</p> |

| Serial Number | Designation of posts | Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment | Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment |
|---------------|----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Project Economist | (i) Masters degree in Economics; (ii) Five years experience in Planning Economtries quantative Analysis or Project Formulation; and (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible. | By transfer or deputation- (i) Masters degree in Economics; (ii) Five years experience in Planning Economtries quantative Analysis or Project Formulation; and (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible. |
| 3. | Accounts Officer | ---- | Officer of State Accounts Subordinates cadre from Finance Department; |
| 4. | Superintendent | --- | By promotion- Two years experience as Deputy Superintendent or Seven years experience as Assistant. By transfer or deputation- (i) Two years experience as Deputy Superintendent or Seven years experience as Assistant; and (ii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible." |

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
New and Renewable Energy Department.